करटेन रेज़र

'प्रतिस्पर्धा के लाभ' विषय पर होगी कार्यशाला

लखनऊ, 23 जनवरी 2014:

व्यवसाय–व्यापार एवं सरकारी खरीद की प्रक्रिया में स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के महत्व के दृश्टिगत् भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) की पहल पर प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी. (पिकप) द्वारा उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सहयोग से **'प्रतिस्पर्धा के लाभ'** (Exploiting Benefits of Competition) विषय पर यहाँ पर्यटन भवन में 24 जनवरी 2014, शुक्रवार को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन **मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी** करेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य व उच्चाधिकारी तथा राज्य सरकार के अधिकारियों सहित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य– अनुराग गोयल, सलाहकार (विधि)–डॉ साधना भांकर एवं उपनिदेशक (विधि)–डॉ वी के सिंह तथा राज्य सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त–आलोक रंजन सहित 44 विभागों के उच्चाधिकारी भाग लेंगे।

कार्यशाला के उद्येश्य के विषय में बताते हुए **पिकप के प्रबन्ध निदेशक व सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, श्री धीरज साहू ने कहा**– *"इस कार्यक्रम का उद्येश्य सरकार के निर्णयकर्ताओं को प्रतिस्पर्धा विधि (competition law) के सिद्धान्तों से अवगत कर उनके अनुरूप संवेदनशील बनाना है। यह कानून सरकारी खरीद, व्यापार व व्यवसाय में स्वस्थ व न्यायोचित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है।"*

कार्यशाला के कार्यक्रम के अनुसार इसमें प्रमुख रूप से भारत में प्रतिस्पर्धा के नियामक ढांचे व संबंधित मुद्दों, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्राविधानों तथा आयोग के अधिकारों पर विचार–विमर्श होगा। यह संवाद सरकारी खरीद या प्राप्तियों की व्यवस्था पर अंतदृष्टि प्रदान करेगा जिसमें विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं मिलीभगत की दोहरी समस्या से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा–विरोधी व निविदा में हेराफेरी के निवारण के उपायों की जानकारी मिलेगी।